न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7/2020 (उदयपुर आर्डर)

1. भैरूलाल पिता गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. मांगीलाल पिता गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. शांतिलाल पिता गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. सोहनलाल पिता गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. तुलसीराम पिता गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. मगनीबाई पत्नी गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

धापू कुंवर उर्फ धापू बाई पत्नी भंवरसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कुड़ी (जावड़) तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली दिनांक 06.02.2020 प्रकरण संख्या 54/2019

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 09–03–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested

का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुरजी का गुड़ा में आराजी नंबर 3522, 3523, 3524, 3525 किता 4 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का 3/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 से 6 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मौके पर पक्षकारान ने आपसी समहति से बंटवाडा कर अपने–अपने हिस्से की जमीन का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 6 ने नाजायज लाभ उठाने की नियत से प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि को अपने कब्जे एवं हिस्से की होना बताकर विक्रय करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि जब तक राजस्व रेकार्ड अनुसार विधिवत बटवारा नहीं हो जाये तब तक प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि किसी को हस्तान्तरित नहीं करें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

विपक्षी संख्या 1 से 6 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि प्रार्थीया एक अजनवी क्रेता है, जिसे विपक्षीगण की पैत्रृक भू भाग पर कब्जा करने एवं बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 06–02–2020 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूाष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05–03–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा दिये गये तर्को बहस को सुने बिना एवं उपलब्ध दस्तावेजों को देखे बिना निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट विवादित आराजियात के 3/8 हिस्से की सहखातेदार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर अपना कोई विस्तृत विवेचन नहीं किया है, किन्तु अपने निर्णय में यह माना है कि यदि विपक्षी संख्या 1 से 6 मौके पर परिवर्तन कर देते हैं तो अनावश्यक पेचिदगींया होकर मुकदमेबाजी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–02–2020 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested